महत्वपूर्ण एवं खास

चक्रधरनगर टीआई अभिनव समेत आरक्षक विनोद, मयाराम, जोन प्रकाश चुने गए कॉप आफ द मंथ

रायगढ़। एसपी संतोष सिंह द्वारा अप्रैल 2021 में दिए जाने वाले कॉप ऑफ द मंथ में लॉकडाउन का प्रभावी रूप से पालन कराने के साथ क्वॉरेंटाइन सेंटर, कोविड केयर/मेडिकल कॉलेज, वैक्सीनेशन सेंटर में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के साथ थानाक्षेत्र में निरंतर जरूरतमंदों की मदद में अपने स्टाफ के साथ आगे रहने वाले थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक अभिनव कांत सिंह को कॉप ऑफ द मंथ चुना गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली में गत माह टीआई मनीष नागर के नेतृत्व में हुये आईपीएल क्रिकेट सट्टे की कार्यवाही को स्थान देते हुये सूचना संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका के लिये रेड टीम के सदस्य रहे आरक्षक विनोद शर्मा, थाना कोतवाली को काप ऑफ द मंथ में स्थान मिला है। वहीं लैलूंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तोलमा में नाबालिक बालिका के ब्लाइंड मर्डर का पटाक्षेप करने वाली टीम में विशेष सहयोग के लिए आरक्षक मयाराम राठिया व आरक्षक जोन प्रकाश टोप्पो थाना लैलूंगा को कॉप ऑफ द मंथ में स्थान दिया गया है।

सत्तीगुड़ी चौक पर नगर कोतवाल को मिली अकेली अबोध बच्ची

> बच्ची पर झपट रहे थे आवारा कुत्ते, टीआई और स्टाफ ने बच्ची को बचाया

रायगढ़। आज दिनांक 10/05/2021 के शाम कोतवाली टीआई मनीष नागर, प्रधान आरक्षक संजय तिवारी और आरक्षक ललित प्रधान (थाना यातायात) शहर के पाइंट ड्यूटी चेक करते हुये टाऊन पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग करते हुए करीब 4:30 बजे सत्तीगुड़ी चौक से आगे बढ़े तो देखे एक 2-3 साल की बच्ची गौशाला रोड तरफ से सत्तीगुड़ी चौक की ओर आ रही थी, घड़ी चौंक के पास 2, 3 आवारा कुत्ते बच्ची के पीछे थे। बच्ची कुत्तों से बचने दौड़ी तो कुत्ते बच्ची पर झपट पड़े , जिसे देख कोतवाली टीआई नागर और स्टाफ तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे और दौड़कर चिल्लाते हुए ईट, पत्थर उठाकर कुत्तों को डराये तो कुत्तें बच्ची को छोड़कर भागे। बच्ची से टीआई नागर उसका नाम पता पूछने पर सहमी बच्ची अपना रश्मि और पिता का नाम विनोद जिसे ऑटो चलाना बताई है। कोतवाली टीआई बच्ची को बिस्किट और चोकलेट देकर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर का पता लगाते हुए उसके माता-पिता को ढूंढने पर बच्ची की नानी मिली जिनको बच्ची को सौंपा गया।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में कोष्टापारा निवासी व्यक्ति गिरफ्तार

> लोगों की नासमझी बढ़ावा दे रही चाइल्ड पोर्नोग्राफी

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर सोशल पुलिसिंग के तहत जन चौपाल, चलित थाना जैसे कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को सायबर क्राईम, धोखाधड़ी, ऑन लाइन फ्राड, फेक कॉल के बारे में जानकारी दी गई है। बावजूद लोगों की लापरवाही, नासमझी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढावा दे रही है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से तात्पर्य केवल अश्लील फोटो ही नहीं वे सभी ऐसे फोटोग्राफ या वीडियो है जिसमें छोटे बच्चों के अर्धनग्न शरीर दिखाई देता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की श्रेणी में आता है, अपराध है। इससे बचें, ऐसे सभी साइट पर देश की एनसीआरबी (नई दिल्ली) नजर रखे हुई है तथा सीधे एनसीआरबी अपराधिक मामले में दर्ज कराती है। इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में रायपुर छत्तीसगढ़ से एनसीआरबी नई दिल्ली से प्राप्त साइबर शिकायत पर कार्यवाही करते हुए प्राथमिक जांच कर मोबाइल धारक के द्वारा नंबर से इंस्टाग्राम में चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड किया गया था , जिस पर थाना कोतवाली में मोबाईल धारक के विरूद्ध धारा 67(बी) आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कोतवाली पुलिस दौरा आरोपी का नाम, पता की जानकारी निकाला गया, आरोपी शिवनारायण डनसेना पिता ईश्वर डनसेना 60 साल निवासी सरस्वती प्रतिमा के पास कोष्टापारा थाना कोतवाली रायगढ़ को गिरफ्तार किया गया, जिनके मोबाइल से चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड की गई थी। आरोपी से मोबाइल जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

कोविड प्रोटोकॉल का करें अनिवार्य रुप से करें पालन-कलेक्टर

कलेक्टर भीम सिंह ने ली सभी ग्राम सरपंच, सचिव व रोजगार सहायकों की बैठक

रायगढ़। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल एवं होम आइसोलेशन गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन कराना होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, पंच, ग्राम सचिव, रोजगार सहायक को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।

उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी ग्राम सरपंच, ग्राम सचिव एवं रोजगार सहायक से कही। कलेक्टर सिंह ने कहा कि वर्तमान में रायगढ़ जिला कोरोना संक्रमण की दृष्टि से एक्टिव केसेस की संख्या प्रदेश में सर्वाधिक है। यहां 100 टेस्ट में से 30 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए यह समय बड़ा ही कठोर कदम उठाने का समय है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसमें शासन द्वारा जारी गाइडलाइन ही अनुसार शादी के लिए सिर्फ 10 लोगों की अनुमति होगी। इसी तरह अंत्येष्टि एवं दशगात्र कार्यक्रम में भी 10 लोगों की

उपस्थिति ही मान्य किया गया है। इससे ज्यादा की उपस्थिति पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर करने जैसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायकों को अपने-अपने क्षेत्र के होम आइसोलेटेड मरीजों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेटेड परिवार के एक भी सदस्य घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, यह सुनिश्चित करना होगा, उन्हें राशन, सब्जी इत्यादि भी होम डिलीवरी के माध्यम से लेना होगा। इसी तरह होम आइसोलेटेड मरीजों के घर से कोई भी तालाब में स्नान नहीं करेगा। मरीजों के घरों में निस्तारी की व्यवस्था नहीं है तो वे अलग से बाल्टी मग्गा लेकर ऐसे जगह पर स्नान करेंगे जहां से पानी तालाब में आकर ना मिले। इस दौरान कलेक्टर भीम सिंह ने आने वाले अक्षय तृतीया को विवाह मुहूर्त होने के कारण अधिकांश विवाह होने और लेकिन इसमें सिर्फ 10 लोगों को ही अनुमति देने और निगरानी रखने की बात कही। उन्होंने बताया कि विवाह एवं दशगात्र में शामिल होने वालों का आधार कार्ड, फोटो सहित संपूर्ण जानकारी के साथ अनुमति लेनी होगी। विवाह व दशगात्र में शामिल होने वालों का दो दिन पूर्व कोविड टेस्ट में नेगेटिव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होगी। नेगेटिव प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में उन्हें विवाह या दशगात्र में शामिल की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान भी विवाह एवं दशगात्र में शामिल होने वाले सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। शासन द्वारा जारी इस नियम का सभी ग्राम पंचायत सरपंच, पंच, ग्राम सचिव और रोजगार सहायक को कड़ाई से पालन कराना होगा।

इस दौरान कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की। उन्होंने 45 वर्ष ऊपर आयु वालों को टीका लगवाने और 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी टीका अनिवार्य रूप से लगाने की बात कही। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों का उदाहरण देते हुए वैक्सीनेशन से संबंधित दुष्प्रचार पर ध्यान नहीं देते हुए कोरोना टीका आवश्यक रूप से लगवाने की बात कही। कलेक्टर सिंह ने कहा कि सभी के सहयोग और गाइडलाइन के गंभीरता से पालन करने पर ही कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। बैठक में सभी जनपद सीईओ, ग्राम सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक ने भाग लिया।

अधिक केस और कम केस वाले पंचायतों के सरपंच से की गई चर्चा

कलेक्टर भीम सिंह ने ब्लॉक के अंतर्गत कम केस आने वाले ग्राम पंचायत और ज्यादा केस आने वाले ग्राम पंचायत जैसे बड़े नवापारा, टीमरगढ़ा, मौहापाली, उलखर, बार, तेंदूमुड़ी, धाप, पचेड़ा, रूपकेड़ा, कुड़ुमकेला, बड़े हरदी, राजपुर के सरपंच और सचिव से भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कम केस आने वाले ग्राम पंचायतों के कार्यप्रणाली को अन्य ग्राम पंचायत में लागू करने की बात कही। इसी तरह ज्यादा केस आने वाले ग्राम पंचायतों को कोविड गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करने, मास्क लगाकर ही बाहर निकलने, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन करने संबंधित कार्य को अपनाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर सिंह ने मनरेगा के कार्यों के दौरान भी मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की बात कही। कलेक्टर सिंह ने कहा कि ग्राम सचिव को मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। इस पर सभी ग्राम सचिव कार्य करें।

बाहर से आने वालों को रखना होगा क्वॉरेंटाइन सेंटर में

बैठक में कलेक्टर भीम सिंह ने सभी ग्राम पंचायतों को क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाने और बाहर से आने वाले सामान्य व्यक्तियों को भी 7 दिनों तक क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने इस नियम का कड़ाई से पालन करने की बात कही। इसी तरह यदि किसी घर में एक भी पॉजिटिव आता है तो पूरे परिवार को मितानिन के माध्यम से कोरोना की दवाई उपलब्ध कराने और दवाई खाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने होम आइसोलेटेड मरीजों को ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल मापने की भी बात कही।

मामूली विवाद में युवक की टंगिया से हत्या, आरोपी गिरफ्तार भेजा गया रिमांड पर

सारंगढ़। दिनांक 09/05/2021 को पुलिस चौकी कनकबीरा थाना सारंगढ़ अन्तर्गत ग्राम भाठाकोना में गांव के जंलिधर बरिहा 42 वर्ष और कमल सिह बरिहा 30 वर्ष दोनों आपस में झगड़ा विवाद हुये, विवाद में जलिंधर बरिहा टंगिया से कमल सिंह के सिर, गर्दन में मारकर संघातिक चोट पहुंचाया जिससे मौके पर कमल सिंह की मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना सारंगढ़, चौकी कनकबीरा पुलिस द्वारा मर्ग पंचानामा कार्यवाही कर मृतक के पिता के रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार ग्राम भाठाकोनी में रहने वाले जलिंधर बरिहा और कमल सिंह बरिहा की आपस में अच्छी बनती थी, कुछ दिन पहले जलिंधर पशुपालन के लिये बकरा, बकरी खरीदकर घर में रखा था। दिनांक 09/05/2021 के दोपहर जलिंधर के घर से एक बकरा को कमल सिंह बरिहा मारकर खाऊंगा कहकर अपने घर ले जाने लगा, जिस पर दोनों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों झगड़ा मारपीट करते हुये कमल सिह बरिहा घर के सामने पहूचे, जहां जंलिधर बरिहा हाथ में रखे टंगिया से कमल बरिहा के सिर में 2-3 बार बार मारा। कमल सिंह की मां और पिता छुड़ाये तो जलिंधर बरिहा अपने घर की ओर भाग गया। थोड़ी देर बाद कमल सिंह की मौत हो गई। घटना के संबंध में आरोपी जंलिधर बरिहा पिता बुधुराम बरिहा उम्र 42 वर्ष साकिन भाठाकोना चौकी कनकबीरा थाना सारंगढ़ के विरूद्ध अप.क्र. 246/2021 धारा 302 भादवि दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

युवक के घर से चोरी की डेढ़ लाख कीमत के 4 बाइक जब्त

रायगढ़। आज दिनांक 10/05/2021 को कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष नागर के हमराह स्टाफ द्वारा जोगीडीपा में रहने वाले आकाश सारथी नाम के घर दबिश देकर चार चोरी की मोटर सायकलों को बरामद किया गया है, कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी घर में मोटर सायकल छिपाकर रखा है।

आज सुबह पूरी योजना के साथ कोतवाली पुलिस द्वारा संदेही के घर दबिश दिया गया, जहां घर के आंगन में चार मोटरसाइकिल- हीरो स्प्लेंडर प्लस सीजी 13 जी-3830, दो एचएफ डीलक्स सीजी 13 एबी- 4290, सीजी 13 एबी-9096 तथा एक बिना नंबर बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल

खड़ी मिली। मोटरसाइकिल चोरी का होने के संदेह पर स्टाफ द्वारा अकाश सारथी से गाड़ियों के संबंध में पूछताछ किया गया और कागजात दिखाने बोले तो आकाश मोटरसाइकिल को अलग-अलग स्थानों से चोरी करना बताया।

आकाश सारथी बताया कि उसका पिता रिक्शा चलाने का काम करता है। जल्द से जल्द पैसे कमाने की चाह में मोटर सायकल चोरी में लग गया। उसने बताया कि एक एचएफ डीलक्स सीजी 13 एबी- 4290 को सूरज रोलिंग मिल उर्दना के पास से एक एचएफ डीलक्स सीजी 13 एबी-9096 को इंदिरानगर पूछापारा तथा हिरो स्प्लेंडर प्लस सीजी 13 जी-3830 को धौराभाठा, तमनार एवं डिस्कवर मोटरसाइकिल को कोतरारोड से चोरी करना स्वीकार किया है। लॉकडाउन के कारण आकाश मोटरसाइकिल बिक्री नहीं कर पाया था, गाड़ियों की बिक्री के लिए अपने संपर्क सूत्रों से ग्राहक तलाश रहा था जिसकी भनक कोतवाली पुलिस को लगी और आज दबिश देकर सभी चार मोटर सायकल बरामद की गई है, जो करीब डेढ लाख रूपये के हैं। आरोपी आकाश सारथी पिता बम बहादुर सारथी उम्र 19 वर्ष निवासी जोगीडीपा थाना कोतवाली रायगढ़ के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 41(1+4)सीआरपीसी/379 आईपीसी की कार्यवाही कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है। कार्यवाही में टीआई नागर के हमराह प्रधान आरक्षक नंदू सारथी, आरक्षक हेम प्रकाश सोन, उत्तम सारथी, मनोज पटनायक, विपिन पटेल की सराहनीय भूमिका रही है।

औद्योगिक संस्थानों व खदानों में अन्य राज्यों से श्रमिकों व कर्मचारियों को लाया जाना किया गया प्रतिबंधित

» कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह द्वारा वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड-19 के नये वेरियन्ट के संक्रमण के कारण राज्य/ जिले में धनात्मक मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए रायगढ़ जिले के सम्पूर्ण सीमाक्षेत्र को 16 मई 2021 तक कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। रायगढ़ जिला औद्यौगिक/व्यवसायिक/वाणिज्यिक गतिविधियों के केन्द्र होने के कारण जिले में स्थापित औद्योगिक संस्थानों में अधिक संख्या में अन्य राज्यों के श्रमिक/कर्मचारी विभिन्न कम्पनियों/खदानों/निर्माण इकाईयों में कार्यरत हैं।

कलेक्टर सिंह द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के कारण वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए जिले में स्थापित औद्योगिक संस्थानों/खदानों में अन्य राज्यों से श्रमिकों/कर्मचारियों को लाया जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुये निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया गया है।

औद्योगिक संस्थानों/खदानो एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (ऑनसाईट)श्रमिकों/ कर्मचारियों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों/खदानों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। श्रमिकों/कर्मचारियों के आवागमन कर ड्यूटी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।

तकनीकी कार्य के लिए अन्य राज्यों से कर्मचारियों को लाया जाना अत्यावश्यक होने पर इसके पूर्व विधिवत जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। श्रमिकों/कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यक संख्या के साथ एवं शिफ्ट वाईस ड्यूटी निर्धारित की जावे। कार्य के दौरान मॉस्क का उपयोग करें, आपस में 02 मीटर की दूरी रखा जावे तथा सेनिटाईजर का उपयोग व साबुन से हाथ धोने की प्रक्रिया का पालन किया जावे। प्रत्येक औद्योगिक संस्थानों में क्वारेंटाईन सेन्टर स्थापित होना अनिवार्य है। यदि कोई श्रमिक/ कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण होता है तो उसे आईसोलेशन में रखने के साथ ही समुचित उपचार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संबंधित औद्योगिक संस्थान /खदान प्रबंधन/निर्माण इकाई प्रमुख की होगी। शासन द्वारा जारी कोविड-19 के गाईडलाईन/दिशा-निर्देश का पालन करते हुए कार्य संपादित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उपरोक्त कण्डिकाओं/कोविड-19 गाईडलाईन का उल्लंघन करना पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बालिका गृह से बालिका को भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। कोतवाली पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध स्थापित करने वाले युवक को पास्को एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 23/03/2021 को थाना कोतवाली में चक्रधर बालिका गृह की अधीक्षिका नाबालिग बालिका के दिनांक 22.03.2021 को 01:00 बजे से 02:50 बजे सुबह के मध्य बिना बताये बालिका गृह संस्था से कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, रिपोर्ट पर अप.क्र. 454/2021 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। बालिका की पतासाजी अपराध विवेचना दरम्यान बालिका गृह के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज, बालिका की सहेलियों से पूछताछ कर संदेही युवक छोटू उर्फ राज टंडन की पतासाजी किया गया जिसके कब्जे से बालिका को दस्तयाब किया गया है। बालिका बताई कि मार्च महीने में राज टंडन इसे भगाकर डोंगरगढ़ मंदिर ले गया, जहां सिंदुर लगाकर शादी करने का विश्वास दिलाकर रायगढ़ ले आया। आरोपी बालिका को रायगढ़, ओडिशा में कई जगह रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। बालिका के कथन एवं मुलाहिजा पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4,6 पास्को एक्ट की धारा जोड़ी जाकर आरोपी छोटे उर्फ राज टंडन पिता लक्ष्मी टंडन उम्र 23 साल निवासी वार्ड नं0 36 सम्बलपुर ओडिशा हाल भजनडिपा जूटमिल रायगढ़ को गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित कर रहे एसडीओपी

सारंगढ़। कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन को लेकर लोग तरह-तरह के संशय मन में बना रखें है जिसे जागरूकता से दूर करने पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़ लगातार क्षेत्र में दौरा कर कोरोना व टीकाकरण को लेकर लोगों को वास्तविकता बताई जा रही है।

पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर लगातार अधिकारीगण क्षेत्र में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने एवं जरूरतमंदों में राहत पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। इन कार्यों के अतिरिक्त एस.डी.ओ.पी. सारंगढ़ जितेन्द्र खूंटे सारंगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने गाँव गाँव जाकर ग्राम प्रमुखों को सामाजिक दूरी बनाये रखने, तालाब में सार्वजनिक रूप से नहाने की मनाही, शादी-विवाह, अंतयोष्टि कार्यक्रमों की जानकारी स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस को दिये जाने की हिदायत दी जा रही है। आज वे ग्राम पंचायत ग्वालीनडीह, पिण्डरी, छर्रा, छतोना, छोटे घौठला का दौरा कर ग्राम के सरपंच, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायिका पंच व अन्य प्रमुख व्यक्तियों को जानकारी दिये। अति आवश्यक काम पर घर से मास्क लगाकर दूसरों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने की हिदायत दिया गया है। एसडीओपी द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से बचने एवं वैक्सीन को कारगार बताते हुये वैक्सीन लगाने लोगों को प्रेरित किया गया। संक्रमण की चैन तोड़ने एसडीओपी द्वारा गांववालों से सहयोग करने कहा गया। वे इसके लिये गांववालों को सुझाव दिये कि गांव के प्रमुख व्यक्तियों का एक व्हाट्सप ग्रुप बनाये जिसमे उन्हें भी जोड़े तथा जो व्यक्ति

जिले में 4 लाख तो प्रदेश में 43 लाख से अधिक लोगों ने लगवा लिया है कोरोना का टीका

» अफवाहों को कहें ना और टीके को कहें हां

» समय से लें वैक्सीन की दोनों खुराक

रायगढ़ । जिले में 4 लाख लोगों से अधिक लोगों ने कोरोना का टीका लगा लिया है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लग चुका है। इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर्स भी शामिल हैं। जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इतने व्यापक स्तर पर टीका लगाया जा रहा है। अतः इसको लेकर अब किसी प्रकार की अफवाह या भ्रांतियों से दूर रहते हुए

टीकाकरण कराना चाहिए।

सीएमएचओ डॉ.केशरी ने बताया कि कोविड टीकाकरण के अंतर्गत टीके के 2 डोज लगाए जाते हैं। कोविशील्ड टीका लगाया गया है तो पहला डोज लेने के 42 दिनों के बाद दूसरा डोज लगाना होता है और यदि को-वैक्सीन का टीका लगवाया गया है तो 28 दिनों के बाद दूसरा डोज लेना होता है। कोविड-19 की वैक्सीन ऐसी है, जिनमें दोनों खुराक लेने पर ही यह पूरी तरह से असरदार होगी। जब पहली खुराक लगती है तो वह शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय कर एंटीबाडी बनाती है। किन्तु इसकी मात्रा सीमित होती है। इसलिए जब टीके का दूसरा डोज लगता है तो पहले से बने एंटीबाडी की संख्या में वृद्धि होती है तथा उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। जिससे वायरस के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को ज्यादा मजबूती मिलती है। अतः टीके का पहला डोज लगाने के बाद निश्चित समय में दूसरा डोज जरूर लगवाना चाहिए। कोरोना की इस घातक लहर के बीच भी हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स इतनी मुस्तैदी से काम कर पा रहे हैं उसके पीछे टीकाकरण की सबसे अहम भूमिका है। टीका लगने के बाद भी उन्हें संक्रमण हुआ तो उन्हें न के बराबर लक्षण आये, वे बहुत तेजी से रिकवर हुए और संक्रमण का आगे विस्तार भी नही हुआ। सिर्फ कल्पना किया जा सकता है जहां इतने बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हो रहे हैं ऐसे में हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कितने कठिन हालातों में काम करना पड़ रहा है, ऐसे में इतने बड़े वर्क फोर्स में संक्रमितों की संख्या कम रही और वे भी अपेक्षाकृत तेजी से रिकवर हुए है तो ऐसे में कहा जा सकता है कि टीकाकरण ने इस वायरस के खिलाफ उन्हें एक मजबूत कवच दिया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480